कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा

क्रमांकः F. प्रशि. (4) /2019–20/ 41-45 दिनांक 4/4/19

कार्यालय आदेश

विषयः– IMTI मद में आयोजित कृषक/WUA प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थीयों को आने – जाने का किराया भुगतान बाबत।

इस संस्थान द्वारा जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। उक्त में प्रशिक्षणार्थी को आने–जाने का किराया सम्बन्धित विभाग/कार्यालय से देय होता है।

इस प्रकार कृषकों/WUA के पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित संस्था/विभाग यथा–कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, के अनुरोध पर विभिन्न योजनाओं यथा –ATMA,RACP, JICA, IWRM एवं अन्य योजनाओं की राशि से प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं, जिसमें प्रशिक्षण शुल्क एवं आने–जाने की किराया राशि का भुगतान सम्बन्धित विभाग के अधीन योजनान्तर्गत उपलब्ध प्रशिक्षण मद की राशि से किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल संसाधन विभाग /कृषि विभाग एवं अन्य विभागों /संस्थाओं के अनुरोध पर भी इस संस्थान के प्रशिक्षण मद से प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं, जिसमें समस्त प्रशिक्षण शुल्क/व्यय इस संस्थान के प्रशिक्षण मद से वहन किया जाता है। परन्तु कृषकों/WUA पदाधिकारियों के किराया भुगतान नहीं होने की स्थिति में प्रशिक्षणार्थी इस संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आने में रुचि नहीं दिखाते हैं।

अतः उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए इस संस्थान के प्रशिक्षण मद से आयोजित प्रशिक्षणों में कृषक/WUA पदाधिकारियों की भागीदारी बढ़ाने एवं कृषकों में इस संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से इस संस्थान के प्रशिक्षण मद से आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों में कृषकों को एक्सप्रेस बस/रेल स्लीपर श्रेणी का किराया एवं स्टेशन/बस स्टेशन तक आने–जाने का किराया तथा 4 घण्टे से अधिक यात्रा होने पर अल्पाहार/चाय का व्यय अधिकतम रु. 45/– प्रति व्यक्ति का व्यय भी इस संस्थान के प्रशिक्षण मद से भुगतान की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश HWMI-बीकानेर द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों पर भी लागू होंगे।

(राजीव चौधरी)
मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक

क्रमांकः F. प्रशि. (4) /2019–20/ 41-45 दिनांक 4/4/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक HWMI- बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कृषि)/उप निदेशक एवं तकनीकी सहायक/लेखा शाखा IMTI
3. समस्त संकाय सवदस्य श्री..................................

मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक
सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान,
कोटा।